क्रमांक 1161–5 जी. एस.–71/6914

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागीय अध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल और सभी उपायुक्त और सभी उप मण्डल अधिकारी हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी जिला और सत्र न्यायाधीश हरियाणा।।

दिनांक चण्डीगढ़ मार्च, 1971

विषय : निलम्बित सरकारी कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य तथा पूर्ति निदेशालय ने सरकार से यह पूछा था कि निलम्बित सरकारी कर्मचारियों को निलम्बित के समय क्या मुख्यालय पर हाजरी लगाने के लिए कहा जा सकता है अथवा नहीं। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने A.I.R. 1963 Sc. 687 तथा कलकता उच्च न्यायालय ने A. I. R. 1958 Cal. 234 में यह निर्णय लिया कि कर्मचारी निलम्बित होते हुए भी सेवा में रहता है और निलम्बित के समय सरकारी कर्मचारी अचरण नियमों के अधीन ही रहता है । इस स्थिति में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निलम्बित अधिकारी को जिस स्थान पर उसका मुख्यालय नियत किया गया हो वहां के सम्बन्धित कार्यालय में प्रतिदिन हाजरी लगाने के लिये कहा जा सकता है और मुख्यालय छोड़ने के लिये निलम्बित कर्मचारी को सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है ।

2. इस पत्र की पावती भेजने का अनुरोध किया जाता है ।

भवदीय,
हस्ता/–
उप सचिव राजनैतिक सेवाएं
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

इसकी एक एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में भेजी जाती है:–

1. वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा, 2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार